समाहरणालय, बक्सर
(जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर)
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 75303/यो0वि0, दिनांक 14.09.2016 से दिए गये निदेश के आलोक में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर में साफ–सफाई हेतु कर्मियों की व्यवस्था Out Sourcing के माध्यम से किया जाना है। उक्त कार्य हेतु इच्छुक प्रतिष्ठान/स्वयं सेवी संस्था/फर्म/संस्थान से निम्नलिखित कार्य विवरणी एवं शर्तों के तहत मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है।

कार्य की विवरणी:–

(i) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर में पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्व कमरों की समुचित साफ–सफाई करना।

(ii) जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर में अवस्थित सभी शौचालयों की साफ–सफाई दिन में तीन बार फिनाईल के साथ करना। साथ हीं सभी सफाई कर्मी कार्यालय अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा लगातार कार्यालय एवं परिसर की सफाई सुनिश्चित करेंगे। साथ हीं यह भी सुनिश्चित करेंगे की परिसर में कहीं भी जाल(झोल) नहीं लगा रहे। इस कार्य हेतु सिलिंग तक पहुँच हेतु सिढ़ी की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करना होगा। परिसर स्थित सभी हरित क्षेत्र में लगे घास तथा पौधों की कटाई–छटाई के अतिरिक्त हरित क्षेत्र का रख–रखाव करना अनिवार्य होगा। पौधों में पानी डालने हेतु पाईप की व्यवस्था निविदादाता को स्वयं करना होगा।

(iii) सभी मूत्रालयों में सफाई के अतिरिक्त नेपथलिन की गोली, शौचालयों में फ्रेशनर (Odonil, Handwash इत्यादि) की आपूर्ति (आवश्यकतानुसार) प्रतिदिन करनी होगी।

(iv) भवन के सभी प्रवेश द्वार की साफ–सफाई सुनिश्चित करना। भवन एवं शौचालयों में सफाई उपस्कर/सामग्री की आपूर्ति आवश्यकतानुसार प्रतिदिन सुनिश्चित करना। जगह–जगह निविदादाता को डस्टबीन रखना आवश्यक होगा।

(v) भवन में अधिष्ठापित सभी पंखों, लाईट सिस्टम इत्यादि की सफाई सुनिश्चित करना।

(vi) सभी काउंटर के वाह्य एवं आंतरिक हिस्से (शीशा सहित), सभी मेज एवं कुर्सी की सफाई प्रतिदिन करना अनिवार्य होगा।

(vii) सप्ताह में कम–से–कम प्रतीक्षालय को दो बार धोना आवश्यक होगा।

(viii) निविदादाता द्वारा निविदा में सफल पाए जाने के उपरान्त श्रम विभाग से नियमानुसार प्राप्त अनुज्ञप्ति जमा करना होगा।

निविदा की शर्तें:–

(i) निविदादाता के प्रतिष्ठान/स्वयं सेवी संस्था/फर्म/संस्थान का निबंधन सक्षम प्राधिकार से होना चाहिए।

(ii) निविदादाता के प्रतिष्ठान/स्वयं सेवी संस्था/फर्म/संस्थान का वाणिज्य कर विभाग में GST का निबंधन होना चाहिए।

(iii) निविदादाता को पैन कार्ड, अद्यतन आयकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2017–18) समर्पित करना होगा।

(iv) निविदादाता को अग्रधन के रूप में जिला योजना पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से 10000.00 (दस हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।

(v) निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा।

(vi) निविदादाता कम–से–कम 03 कर्मी दैनिक साफ–सफाई, हरित क्षेत्र के रख–रखाव एवं विद्युत संचालन व्यवस्था (DG सहित) हेतु रखेंगे। निविदादाता द्वारा अपने सभी कर्मियों को यूनिफार्म में पहचान पत्र के साथ रखना अनिवार्य होगा। यूनिफार्म एवं पहचान पत्र में नहीं पाये जाने पर मासिक विपत्र से समुचित कटौती कर ली जाएगी। युनिफार्म/पहचान पत्र की उपलब्धता निविदादाता द्वारा स्वयं किया जायेगा। कर्मियों को पारिश्रमिक का भुगतान बैंक खाता के माध्यम से करना होगा।

(vii) EPF एवं ESIC की सुविधा नियमानुसार सभी सफाई कर्मियों पर लागू होगा जिसके लिए अलग से राशि देय नहीं होगी।

(viii) निविदादाता को उपर वर्णित विवरणी के कार्यों के लिए आपूर्ति किये जाने वाले कर्मी की संख्या एवं सामग्री का पूर्ण विवरण देते हुए सम्पूर्ण परिसर की सफाई का न्यूनतम दर (सभी करों सहित) प्रति वर्ग फीट प्रति दिन में निम्नलिखित विहित प्रपत्र में वित्तीय निविदा वाले लिफाफा में देना होगा। कर्मियों का पारिश्रमिक भुगतान श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन अधिसूचना में अंकित दर से कम नहीं होना चाहिए।

दर सभी कर सहित (रूपये में) (प्रति वर्ग फीट प्रति दिन)	
अंकों में	शब्दों में

(ix) यदि जीविका स्वयं सहायता समूह/जीविका महिला ग्राम संगठन निविदा में भाग लेते हैं, तो उन्हें GST एवं आयकर रिटर्न से छूट प्राप्त रहेगी।

(x) सफल निविदादाता को कार्य प्रारंभ करने से पूर्व इस आशय का विहित स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा दाखिल करना होगा कि कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने की स्थिति में मासिक विपत्र से अनुपातिक राशि की कटौती की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार एकरारनामा भी रदद किया जा सकता है। निविदा स्वीकृत होने के पश्चात पूर्व की निविदा को स्वतः रदद समझा जायेगा।

(xi) निविदादाता तकनीकी एवं वित्तीय बीड (विहित प्रपत्र में) दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफा में डालकर उन्हें एक अन्य लिफाफा में सीलबंद कर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरान्त निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(xii) निविदा में स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति हीं भाग लेगें।

(xiii) भुगतान प्रति कार्य दिवस के आधार पर होगा।

(xiv) साफ–सफाई हेतु आपूर्ति किये गये सामग्रियों की विवरणी प्रति माह देना होगा।

(xv) चयनित संस्था को उनके अभिश्रव के विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा जो भुगतान किया जाएगा, उसके एक सप्ताह के अंदर कर्मियों को बैंक खाता के माध्यम से किये गये भुगतान की विवरणी जमा करना होगा।

(xvi) विशेष परिस्थिति में सफाई कर्मियों को कार्यालय अवधि के पूर्व/पश्चात/अवकाश के दिन में भी आवश्यकतानुसार कार्य करना होगा।

(xvii) यह निविदा एक वर्ष के लिए मान्य होगी। कार्य संतोषजनक रहने पर क्रय समिति के अनुशंसा के उपरान्त जिला पदाधिकारी, बक्सर से अनुमोदनोपरान्त अवधि विस्तार एक वर्ष हेतु किया जा सकता है।

(xviii) निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय रदद करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

(xix) किसी भी विवाद की स्थिति में विवाद का निपटारा व्यवहार न्यायालय, बक्सर में होगा।

निविदा दिनांक 17·09·2019 को 1:00 बजे अपराह्न तक जमा किया जा सकता है तथा दिनांक 17·09· 2019 को हीं 3:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी वांछित कागजातों/प्रमाणपत्रों की मूलप्रति के साथ उपस्थित रहेंगे।

विशेष जानकारी जिला के वेबसाईट www.buxar.bih.nic.in पर उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है।

30/08/19

जिला पदाधिकारी
बक्सर

ज्ञापांक DRCC/BXR/2019/644 दिनांक 30/08/2019

प्रतिलिपि :– निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार, पटना को निविदा की हार्ड प्रति एवं सॉफ्ट प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपर्युक्त निविदा सूचना को प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

प्रतिलिपि :– डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/08/19

जिला पदाधिकारी
बक्सर